

राजस्थान सरकार  
औषधि नियंत्रण संगठन, तृतीय तल, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,  
जयपुर, राजस्थान

क्रमांक : डीसी-1& 2/डी-1/2017/187

दिनांक 23-2-17

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान  
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान


अलर्ट नोटिस


विषय:- Skinlite Cream, 20 gm, Marketed By M/s Liva Healthcare (A division of Cadila Healthcare Ltd.) 'Zydus Tower' Satellite Cross Road, Ahmedabad-380015 Mfgd By- Aurochem Laboratories (India) Pvt. Ltd., at Mamring South-Sikkim. Spurious (नकली) की जाँच के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान आज तुरंत अपने नेतृत्व में अपने क्षेत्र से संबंधित औषधि नियंत्रण अधिकारियों, को साथ लेकर इस औषधि से संबंधित विभिन्न विक्रेता फर्मों के निरीक्षण करवाकर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अनुसार कार्यवाही करें व की गई कार्यवाही से सायंकाल 05 बजे तक संगठन के ई मेल पर अवगत कराना सुनिश्चित करें। उक्त औषधि निम्न कारणों से नकली है। जो निम्न है :-

1. Brand name is embossed on tube in original pack which is missing in reference pack.
2. In carton flip images of ZYDUS & SKINLITE is present in the purple band at 2 panels, however there in no such images in the reference pack, only purple band is printed.
3. Original carton pack has micro text printing of ZYDUSSKINLITE in the border line surrounded to the warning statement, which can be seen with a special 10X lens: however it is not present in the reference pack.
4. Ccream is printed on Cartoon instead of cream.
5. Original pack Contains small leaflet where as the Spurious Contains leaflate

उल्लेखनीय है कि फर्म M/s Shipra Medicals Branch, Shop No. 1, Opp. Mayur Tower, Film Colony, Jaipur के द्वारा राजस्थान राज्य में इस औषधि का विक्रय किया जाना पाया गया है व दिनांक 22.02.2017 को इस फर्म पर, नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस औषधि (Skinlite Cream 20gm, Batch No. ZAS102, D/M 04/2016, D/E 09/2017) का नमूना वास्ते जाँच एवं विश्लेषण हेतु लिया गया है तथा उपलब्ध स्टॉक को जब्त भी किया गया है। इस औषधि के सम्बन्ध में निरीक्षण के दौरान उपरोक्त के अतिरिक्त फर्म न्यु मेडिसीन पार्सन्ट, श्रीगंगानगर एवं फर्म ओम एजेन्सी, जयपुर के विक्रय बिल इत्यादि को संदिग्ध मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें।

  
औषधि नियंत्रक-प्रथम  
राज0 जयपुर

  
औषधि नियंत्रक-द्वितीय  
राज0 जयपुर